GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी
जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
जिला परियोजना समन्वयक,
खण्ड शिक्षा अधिकारी,
राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों के स्कूल मुखिया/प्रभारी।

यादी क्रमांकः– KW 20/1-2016 ACD (1)
दिनांकः– 01.04.2021

विषयः– **136 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों (Bag Free English Medium Schools) में आवेदन एवं दाखिला प्रक्रिया के सन्दर्भ में।**

****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उल्लेख है कि राज्य के खण्ड/विधानसभा स्तर पर 136 विद्यालयों की स्थापना की गई है। CBSE बोर्ड के इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ–साथ महाग्रामों, कस्बों तथा शहरों में 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय (Bag Free English Medium Schools) बनाये गए हैं। इन विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य उत्कृष्ट ढांचागत सुविधा प्रदान करते हुए "Centre of Excellence" बनाना है। उपरोक्त विद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है जो निम्नानुसार हैः–
है।

1. **राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला प्रक्रियाः–** प्रत्येक विद्यालय में कक्षा पहली से नौंवी के लिए अंग्रेजी माध्यम का एक अतिरिक्त अनुभाग (सैक्शन) आरम्भ किया जाएगा जिसमें कक्षा पहली से पांचवीं के लिए अधिकतम 30, कक्षा छठी से आठवीं के लिए अधिकतम 35 तथा कक्षा नौंवी एवं ग्यारहवीं के लिए अधिकतम 40 विद्यार्थियों के लिए सीटें उपलब्ध करवाई जाएंगी। कक्षा पहली से ग्यारहवीं के लिए बनाये जाने वाले इन अतिरिक्त सैक्सन में 50% सीटें विद्यालय के उन हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों लिए होंगी जो अपनी अगली पढ़ाई अब अंग्रेजी माध्यम से करना चाहते हैं तथा बाकी 50% सीटें अन्य स्कूलों से आने वाले अर्थात बाहरी विद्यार्थियों के लिए होंगी। यदि विद्यालय में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम नहीं चुनते हैं तो यह सीटें बाहरी विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। यदि दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या एक सैक्शन से अधिक होती है, उस स्थिति में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) को अधिकृत किया जाएगा कि वे विद्यालय के कमरों की संख्या, अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर सैक्शन की संख्या बढ़ा सकते हैं।
2. **राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों (Bag Free English Medium Schools) में दाखिला प्रक्रियाः–** इसके लिए प्रत्येक विद्यालय की पहली कक्षा में एक अनुभाग (अर्थात सैक्शन जिसमें कम से कम 30 विद्यार्थी होंगे) स्थापित किया गया है। इस वर्ष कक्षा पहली और दूसरी ही अंग्रेजी माध्यम से चलेगी। यहां उल्लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2020 को हुई बैठक में लिये गए निर्णयों के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 में 134 A के अनुसार पात्र विद्यार्थियों के लिए इन विद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है जो निम्नानुसार हैः–

Sr. No.	Income Group	Seat Reserve (%)	No. of Seats
1.	वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार तक (Annual income upto 1.80 lac)	20%	06
2.	वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार से अधिक तथा दो लाख चालीस हजार तक (Annual income above 1.80 lac and upto 2.40 lac)	10%	03

इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत आरक्षण भी दिया जाना है जो निम्नानुसार है:–

Sr. No.	Category of Candidate in 12 (1)(C)	Seat Reserve (25%)	No. of Seats
1.	SC		03
2.	BC 'A'		02
3.	BC 'B'		01
a.	CWSN (दिव्यांग) अनाथ बच्चे/HIV प्रभावित बच्चे		02

3. आवेदन के लिए तिथियां:–

विद्यालय मुखिया द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	01 अप्रैल, 2021 से 10 अप्रैल, 2021
माता–पिता/अभिभावकों द्वारा आवेदन जमा करवाने की तिथि	01 अप्रैल, 2021 से 10 अप्रैल, 2021
दाखिला प्रक्रिया आरम्भ	01 अप्रैल, 2021
प्रतीक्षा सूची का दाखिला	01 मई, 2021

4. आयु सीमा:– पहली कक्षा में दाखिले के इच्छुक बालक/बालिका की आयु 01 अप्रैल, 2021 को पाँच वर्ष होनी अनिवार्य है। अतः बच्चे का जन्म 31 मार्च, 2016 से पूर्व होना चाहिए।

5. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:–

i. जन्म का प्रमाणपत्र – अस्पताल/दाई का रजिस्टर अभिलेख, आंगनवाड़ी अभिलेख, माता–पिता अथवा सरंक्षक का आयु के लिए शपथ पत्र।

ii. रिहायश का प्रमाण पत्र – आधार कार्ड/परिवार पहचान पत्र।

iii. आवेदन का फार्म – विभाग द्वारा पहले से ही तैयार किये गए आवेदन फार्म पर ही भरना होगा। यह आवेदन फार्म स्कूल द्वारा माता–पिता/अभिभावकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।

iv. किसी भी बच्चे को दस्तावेज के अभाव में दाखिले से वंचित नहीं किया जाएगा। बच्चे/अभिभावक को अस्थाई दाखिला देकर 30 दिन का समय प्रदान किया जाएगा।

v. यदि आरक्षित सीटों के लिए समुचित संख्या में आवेदन नहीं आते हैं तो इन सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जाएगा।

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक सम: **दिनांक, पंचकूला 01.04.2021**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ सचिव, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. निजी सहायक, माननीय महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. निजी सचिव, माननीय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education Haryana

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

अधिसूचना

आदेश क्रमाक 24/2-2020 ACD (14) दिनांक पंचकूला 29.09.2020

विषयः– राज्य में खण्ड स्तर पर स्थापित किए गए 'राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार, सरकार की स्वीकृति उपरान्त राज्य में खण्ड स्तर पर 'राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों' की स्थापना की गई है जिनकी सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि उक्त सूची बारे अपने अधीनस्थ सभी विद्यालय मुखियाओं को अवगत करवाने की कृपा करें।

इन विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना करना आवश्यक है:–

1. सर्वप्रथम विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) की बैठक का आयोजन करके विद्यालय का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित करने की कार्यवाही की जाए। विद्यालय का नया नाम 'राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय' होगा।
2. इन स्कूलों में एक अलग विंग होगा जो सहशिक्षा तथा अंग्रेजी माध्यम से संचालित होगा, जिसमें आगामी सत्र 2021–22 के लिए दाखिला आरम्भ कर दिया जाए। इन अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विंग की कक्षाएं अप्रैल, 2021 से आरम्भ होंगी। सभी विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त होंगे।
3. इन विद्यालयों में अध्यापकों के पद Non-Core माने जाएंगे जिन्हें सामान्य स्थानान्तरण नीति से बाहर रखा जाएगा। इन विद्यालयों में अध्यापक एक Special Screening Process के अन्तर्गत लगाए जाएंगे जिन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा।
4. इस सन्दर्भ में सभी स्कूल मुखिया SMC की बैठक का आयोजन करके School Development Plan बनाकर निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे ताकि तदानुसार स्कूलों में ढांचागत विस्तार किया जा सके।
5. इन विद्यालयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं होंगी लेकित अंग्रेजी माध्यम के सहशिक्षा विंग में दाखिला तथा मासिक फीस निम्नानुसार ली जाएगी (केवल अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए):–

क्रमांक	विषय	राशि	कक्षा
1.	एक मुश्त दाखिला राशि (One time admission fees)	500/–	1 से 5
		1000/–	6 से 12
2.	मासिक फीस (Monthly fees)	200/–	1 से 3
		250/–	4 से 5
		300/–	6 से 8
		400/–	9 से 10
		500/–	11 से 12

6. विद्यार्थियों से ली जाने वाली यह फीस 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' की धारा 21 (1) की अनुपालना में गठित स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) द्वारा विद्यालय के रखरखाव पर ही खर्च की जाएगी।
7. 134-A के तहत विशेष आरक्षण:– हरियाणा शिक्षा नियम–2003 की धारा 134-A के अनुसार BPL श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों के लिए फीस का निम्नानुसार प्रावधान होगा:–

BPL/EWS families having income (in Rs.)	Percentage of Reservation
Below 2 Lac	20%
2 lakh -2.50 Lac	10%
Above 2.50 Lac	No reservation

नोट:– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना में बनाए गए नियमों में परिभाषित लाभ से वंचित वर्ग और कमजोर वर्ग के आरक्षण को उसी अनुपात में जारी रखा जाएगा।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा पंचकूला
दिनांक 29.09.2020

पृष्ठांकन क्रमांक सम्

इसकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:–

1. प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री हरियाणा सरकार।
2. वरिष्ठ सचिव, माननीय शिक्षा मन्त्री हरियाणा सरकार।
3. वरिष्ठ सचिव, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. निजी सचिव, माननीय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
5. निजी सहायक, माननीय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
6. सहायक प्रबन्धक, माननीय राज्य परियोजना निदेशक, HSSPP, हरियाणा, पंचकूला।
7. निदेशक, SCERT हरियाणा, गुरूग्राम।
8. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
9. राज्य के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी।

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला